



केन्द्रीय विद्यालय संगठन(मु0)
18 सांस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110016
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)
18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi 110016.
Tel.: 26858570 Fax 26514179
Website: www.kvsangathan.nic.in

F. No.110331/03/2018-19/KVS(HQ)/Sp.Disp/MP (RS)

दिनांक- 06.04.2018

The Principal
Kendriya Vidyalaya,
Kv no. 1 Hinoo/
Kv no. 1 Bokaro Steel City

विषय: विशेष छूट पर आधारित प्रवेश हेतु माननीय सांसद Sh. Sanjiv kumar द्वारा शिक्षा-सत्र 2018-19 के लिए के. वि. सं. कूपन सं0 870 में की गयी संस्तुति।

महोदय/ महोदया,

माननीय सांसद के लिए विशेष छूट प्रवेश योजना के अंतर्गत निम्नलिखित विद्यार्थियों के प्रवेश को निम्नांकित नियमों के आधार पर अनुमोदित किया गया है:-

S. N	Name of the Child	Father's/Mother's Name (in Capital letter) and address with mobile No.	Class	Name of KV
6	ADITYA ARUN MISHRA	MR. ARUN KUMAR MISHRA, FLAT NO. IV/2, SECOND FLOOR, RAMJANKI ENCLAVE, LOWER HATIA, RANCHI- 834003, CONTACT NO. 9123056012, EMAIL-ID- arun.kumarmishra@canarabank.com	VII	KV NO. 1 HINOO, RANCHI
7	AYUSHI KUMARI	SH. MANIK MODAK, PLOT NO. 32, COOPERATIVE COLONY, BOKARO STEEL CITY, JHARKHAND, CONTACT NO. 7294844021	VIII	KV NO. 1 BOKARO STREET

This admission order is issued in cancellation of the Admission letter of even no. dated 28.03.2018 vide S.No. 6 & 7, order no. 61/2018-19 in r/o NIKITA SEN in class VIII in KV NO. 1 BOKARO STEEL CITY AND RAM SEN in class IV in KV NO. 1 BOKARO STEEL CITY on receipt of a letter dated 04.04.2018 from the Hon'ble MP.

निर्देश:-

- विद्यार्थी, अन्यथा के. वि. सं. की वर्तमान प्रवेश दिशानिर्देशिका 2018-19 के अनुसार पात्र होना चाहिए।
- इन प्रवेशों की संख्या कक्षा की नियत संख्या के ऊपर एवं अलावा (over and above) होगी। प्रवेश की अंतिम तिथि 15.05.2018 है।
- प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त विद्यार्थी के अभिभावकों को प्रवेश हेतु अविलम्ब सूचित करें।

निजमल कुल
संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक) 04/04/18

प्रतिलिपि:

- Sh. Sanjiv kumar माननीय सांसद सदस्य 141, North Avenue, New Delhi-110001:- सादर सूचनार्थ।
- प्राचार्य- संबन्धित विद्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- उपायुक्त, के वि सं, RANCHI संभाग को सूचनार्थ। प्रवेश प्रक्रिया के अंत में कुल हुए प्रवेश की समेकित सूची भिजवानी आवश्यक है।